न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 75 / 2026 GCMS No.—2016/00174

1. बाबूलाल पुत्र स्व0 गोविन्दा जाति मीणा, निवासी ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ रोपाडा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

1. जगदीशनारायण,
2. मोहनलाल पुत्रान स्व0 गोविन्दा जाति मीणा निवासीगण ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ रोपाडा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. श्रीमती झूंथा पत्नि स्व0 गोविन्दा जाति मीणा निवासी ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ रोपाडा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
4. पूजा पुत्री बद्रीनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ रोपाडा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर नाबालिग जरिये संरक्षक नाना महादेव प्रसाद पुत्र धन्नाराम मीणा निवासी ग्राम ढंड, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
5. श्रीमती कल्ली पुत्री स्व0 गोविन्दा पत्नि स्व0 अमरलाल जाति मीणा, निवासी ढाणी बेरियाली, ग्राम खोरी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर हाल निवासी ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ रोपाडा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
6. श्रीमती कौशल्या पुत्री स्व0 गोविन्दा पत्नि जगदीश जाति मीणा निवासी ग्राम बिशनपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
7. श्रीमती ग्यारसी पुत्री स्व0 गोविन्दा पत्नि गैंदीलाल जाति मीणा, ग्राम मुंडली, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

............रेस्पाडेन्टस

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 124 नायब तहसीलदार सांगानेर दिनांक 25.07.2005।

उपस्थितः–
1. श्री विशाल जोशी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री लालचंद जाट अधिवक्ता रेस्पा0 संख्या 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 08.06.2026

अपीलांट ने यह अपील नायब तहसीलदार, सांगानेर के निर्णय दिनांक 25.07.2005 जिससे नामान्तरकरण संख्या 124 वाके ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ रोपाडा, तहसील सांगानेर तस्दीक किया गया से असंतुष्ट होकर दिनांक 27.12.2010 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्ट्स जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। रेस्पा0 संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री लालचन्द जाट उपस्थित आये। रेस्पाडेन्ट संख्या 2 लगायत 7 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तकरण प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी जो शामिल मिसल रहे। विद्वान अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या 1 एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में अंकित तथ्यों अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विधान एवं पत्रावली के तथ्यों के प्रतिकूल

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ रोपाडा, तहसील सांगानेर स्थित अपीलाधीन आराजीयात में अपीलांट के हकपूर्वाधिकारी पिता गोविन्दा पुत्र नैनू जाति मीणा की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की रही है। अपीलांट के पिता गोविन्दा पुत्र नैनू मीणा का देहान्त दिनांक 12.04.2005 को हो गया। अपीलांट की जाति मीणा होने से अपीलांट पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2(2) के प्रावधानानुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1955 के प्रावधान लागू नहीं होते है। अपीलांट के पिता के तीन पुत्र अपीलांट, रेस्पाडेन्ट संख्या 1 व 2 तथा रेस्पाडेन्ट संख्या 4 के मृतक पिता बद्रीनारायण एवं उनकी विधवा रेस्पाडेन्ट संख्या तीन झूंथी देवी तथा उनकी पुत्रियां रेस्पाडेन्ट संख्या 5 लगायत 7 हुई। अपीलांट की प्रथा एवं हिन्दू विधि के प्रावधानानुसार केवल पुरूषो को ही उत्तराधिकार न्यायगत होता है। अपीलांट के पिता की मृत्यु हो जाने के पश्चात केवल मात्र अपीलांट एवं रेस्पाडेन्ट संख्या एक व दो ही पुरूष सदस्य जीवित थे तथा गोविन्दा का हिस्सा इन तीनो तथा विधवा में ही बराबर–बराबर न्यागत होना था। विवाहित पुत्रियों तथा मृतक पुत्र की पुत्री को उत्तराधिकार में सम्पत्ति प्राप्त नहीं होती है। किन्तु इसके बावजूद भी रेस्पाडेन्ट संख्या एक व दो ने रेस्पाडेन्ट संख्या 5, 6 व 7 से हकत्याग अपने पक्ष में करवा लिया तथा विधि विरूद्ध निष्पादित हकत्याग के आधार पर गोविन्दा की विरासत का अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 124 दिनांक 25.07.2005 बालाबाला खुलवा लिया। उक्त नामान्तकरण को तस्दीक किये जाते समय अपीलांट को कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जिससे अपीलांट को नामान्त्करण की जानकारी नहीं हो सकी तथा अवैध रूप से हकत्याग के आधार पर हिस्सा 5/8 की खातेदारी रेस्पाडेन्ट संख्या एक व दो के नाम दर्ज कर दी गयी। अपीलांट द्वारा किसान केडिट कार्ड बनवाने हेतु भूमि के राजस्व अभिलेखो की नकल हेतु दिनांक 19.12.2010 को हल्का पटवारी से संपर्क किया तथा रिकॉर्ड की नकल प्राप्त हुई तो अपीलांट को उक्त भूमि में हिस्सा 1/8 अपीलांट का एवं हिस्सा 5/8 रेस्पाडेन्ट संख्या एक व दो के नाम होने की सर्वप्रथम जानकारी हुई। जिसकी जानकारी अपीलांट को होते ही अपीलांट द्वारा जानकारी दिवस से अन्दर मियाद अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी तथा जानकारी के अभाव में हुए विलम्ब का उपशमन करने हेतु धारा 5 परिसीमा अधिनियम का भी प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्वान्त की अवहेलना करते हुए पारित किया गया तथा गोविन्दा के वारिसान को किसी प्रकार का नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया और अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक कर दिया गया। पुत्रियो का कोई अधिकार नहीं होने हकत्याग का कोई विधिक महत्व नहीं है तथा नामान्तकरण से अपीलांट का हिस्सा कम एवं रेस्पाडेन्ट संख्या 1 व 2 का हिस्सा बढने की अवस्था में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

नोटिस जारी नहीं किये गये तथा विधि के प्रावधानो का उल्लंघन करते हुए नामान्तकरण तस्दीक कर दिया गया। हिन्दू विधि के अनुसार विवाहित पुत्रियां को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है, ऐसी स्थिति में जबकि रेस्पाडेन्ट संख्या 5 लगायत 7 को कोई सम्पत्ति ही उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं होती है तो उनके द्वारा हक त्याग किये जाने से किसी प्रकार की सम्पत्ति हकत्याग से रेस्पाडेन्ट संख्या 1 व 2 को प्राप्त नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी शक्तियों के प्रयोग में गम्भीर अवैधानिकता एवं अनियमितता कारित करने की प्रथम दृष्टया पुष्टि होती है। अतः अपील अपीलांट अन्दर मियाद स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार सांगानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2005 द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 124 वाके ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ रोपाडा, तहसील सांगानेर को निरस्त फरमाये जाने की कृपा करें। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा न्यायिक दृष्टान्त **RRD 2002 Page 31, 2006(2) RRT 1085 High Court, 2002 (1) RRT 45, RRD 2008 Page 474** आदि पेश किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पा0 संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन नामान्तकरण नियमानुसार एवं स्व. गोविन्दा के वारिसान के हक में तस्दीक किया है। रेस्पाडेन्ट संख्या एक व दो की बहनो रेस्पाडेन्ट संख्या पांच लगायत सात द्वारा रजि0 हक त्याग रेस्पाडेन्ट संख्या एक व दो के हक में निष्पादित किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त रजि0 हक त्याग के आधार पर रेस्पाडेन्ट संख्या एक व दो की बहनो के हिस्से की भूमि का नामान्तकरण रेस्पाडेन्ट संख्या एक व दो के हक में तस्दीक किया गया जो नियमानुसार उचित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 17.07.2025 में पारित किया गया है कि ट्राइबल महिला को अपनी पैतृक सम्पत्ति में समान हिस्सा प्राप्त होगा। अपीलांट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगानेर में नियमित वाद खारिज हो चुका है एवं अपीलांट द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी जयपुर में दिनांक 23.12.2020 को राजीनामें के आधार पर अपील विड्रा कर ली गयी। वर्तमान में अपीलाधीन भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम से भी दर्ज हो चुकी है एवं रेस्पाडेन्ट संख्या 4 द्वारा भूमि का बेचान किया जा चुका है तथा अपीलांट द्वारा रेलवे विभाग में अपनी भूमि की अवाप्ति पश्चात मुआवजा उठा लिया गया है इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत सारहीन है। अपीलाधीन नामान्तकरण नियमानुसार एवं विधिक वारिसान के हक में ही तस्दीक किया गया जो नियमानुसार उचित है, अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जावे। अधिवक्ता रेस्पा0 मियाद के बिन्दु पर एवं अपील के संबंध में न्यायिक दृष्टान्त पेश किये। अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट ने अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **2025 INSC SUPREME COURT OF INDIA Ramcharan and oth. Vs Sukhram and oth.** पेश किया।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तकरण स्व. गोविन्दा की विरासत के आधार पर उसके जायन्दा वारिसान के हक में तस्दीक किया गया है।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण तस्दीक किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

विद्वान उपस्थित अभिभाषक रेस्पाडेन्ट एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई एवं वकील अपीलांट प्रस्तुत लिखित बहस का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध मूल नामान्तरकरण संख्या 124 वाके ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ रोपाडा, तहसील सांगानेर द्वारा तस्दीक दिनांक 25.07.2005 के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलाधीन भूमि के खातेदार काश्तकार गोविन्दा पुत्र नैनू का विरासत का नामान्तकरण पटवारी हल्का द्वारा मुताबिक हक त्याग, व मृत्यु प्रमाण पत्र के वारिसान के नाम भरा गया। जिसे तहसीलदार सांगानेर द्वारा आदेश दिनांक 25.07.2005 द्वारा अपीलांट एवं रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के हक में तस्दीक किया गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का मुख्य कथन है कि पक्षकारान अनुसूचित जनजाति (मीणा) के सदस्य है एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों में पुरूष वर्ग है तो महिला वर्ग को कोई भी कानूनन हक व अधिकार हासिल नहीं होते है। अपीलाधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्व. गोविन्दा के फौत होने पर उसकी खातेदारी भूमि का नामान्तकरण उसकी जायन्दा पुत्र, पुत्री, पत्नी के हक में तस्दीक किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात विद्वान अधिवक्ता अपीलांट एवं रेस्पाडेन्ट द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरो का अवलोकन किया गया। नामान्तरकरण की कार्यवाही फिसकल प्रोसीडिंग्स है जिसमें हक अधिकार संबंधी बिन्दु को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। रेस्पाडेन्ट संख्या 5 लगायत 7 द्वारा रेस्पाडेन्ट संख्या 1 व 2 के हक में हक त्याग निष्पादित किया गये जिसके आधार पर अपीलाधीन नामान्तकरण में रेस्पाडेन्ट संख्या 5 लगायत 7 के हिस्से की भूमि रेस्पाडेन्ट संख्या 1 व 2 के हक में दर्ज की गयी। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया जिससे जाहिर हो कि अपीलांट द्वारा हक त्याग पत्रों को सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गयी हो। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलांट द्वारा अपने हक अधिकारों के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगानेर के समक्ष नियमित वाद दायर किया गया एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगानेर द्वारा अपीलांट का वाद दिनांक 17.03.2020 को खारिज किया गया। जिसके विरूद्व अपीलांट द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत राजीनामें के आधार पर अपीलांट की अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के आदेश दिनांक 23.12.2020 को विड्रा किये जाने से खारिज की गयी। अपीलाधीन नामान्तकरण में वर्णित भूमि खसरा नंबर 1200 वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम से दर्ज है एवं रेस्पाडेन्ट संख्या 4 द्वारा विकय पत्र भी सम्पादित किया गया है तथा अपीलांट के हिस्से की खसरा नंबर 1944/1391 भूमि रेलवे विभाग द्वारा अवाप्त की जा चुकी है जिसका मुआवजा भी अपीलांट द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। इसलिए रजि0 विकय पत्र एवं रेलवे विभाग की

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

अवाप्ति होने, जेडीए के नाम अपीलाधीन भूमि दर्ज होने की स्थिति में अपीलाधीन नामान्तकरण में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन किये जाने से पश्चातवर्ती अपीलाधीन भूमि के संबंध में तस्दीक नामान्तकरणों पर भी विपरीत प्रभाव पडता है। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलाधीन नामान्तकरण में किसी प्रकार का संशोधन /परिवर्तन किया जाना न्यायोचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का नामान्तकरण के साथ निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार सांगानेर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.06.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजीव द्विवेदी)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर